रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 2012/अग्रहायण 1, 1934
No. 5] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2012/AGRAHAYANA 1, 1934

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2012

सं. 2012/ईएंडआर/1(3)/4.—सामान्य सूचना के लिए यह एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नया रायपुर और नया केन्द्री स्टेशनों के शुरू होने और इन दोनों स्टेशनों के बीच एक नई रेल लाइन शुरू होने को ध्यान में रखते हुए परिचालनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर, केन्द्र सरकार ने पूर्व तट रेलवे के संबलपुर मंडल सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के क्षेत्राधिकार को संशोधित करने का विनिश्चय किया है ।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल का क्षेत्राधिकार रायपुर जंक्शन और मंदिर हसौड स्टेशनों के बीच 834.766 कि.मी. से लखौली और अरंग महानदी स्टेशनों के बीच 859.985 कि.मी. तक बढ़ाया गया है । तद्नुसार, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व तट रेलवे के बीच की सीमा को रायपुर-टिटलागढ़ सेक्शन पर 834.766 कि.मी. से 859.985 कि.मी. तक शिफ्ट कर दिया गया है ।

उपर्युक्त क्षेत्राधिकार में यह परिवर्तन 1 जनवरी, 2013 से लागू होगा ।

आर. सी. जाट, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2012

No. 2012/E&R/1(3)/4.—It is hereby notified for general information that keeping in view the operational requirements in the wake of coming up of Naya Raipur and New Kendri stations and a new Railway line between these two stations, Central Government has decided to revise the jurisdiction of Raipur Division of South East Central Railway with Sambalpur Division of East Coast Railway.

The jurisdiction of Raipur Division of South East Central Railway has been extended from km. 834.766 between Raipur Jn. and Mandir Hasaud stations to km. 859.985 between Lakholi and Arang Mahanadi stations. Accordingly the boundary between South East Central Railway and East Coast Railway has been shifted from km. 834.766 to km. 859.985 on the Raipur-Titlagarh section.

The change in the above jurisdiction will come into effect from 1st January, 2013.

R. C. JAT, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2012

सं. 2012/ईएंडआर/1(3)/8.—सामान्य सूचना के लिए यह एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मथुरा और पलवल के बीच तीसरी लाइन के निर्माण को ध्यान में रखते हुए परिचालनिक आवश्यकता के मद्देनजर, केन्द्र सरकार ने उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल सहित उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के क्षेत्राधिकार को संशोधित करने का विनिश्चय किया है ।

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल का क्षेत्राधिकार 1 जनवरी, 2013 से दिल्ली मंडल (उत्तर रेलवे) के पलवल स्टेशन और आगरा मंडल (उत्तर मध्य रेलवे) के रूंधी स्टेशन के बीच 1479.400 कि.मी. से 1478.680 कि.मी. तक बढ़ाया गया है ।

आर. सी. जाट, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2012

No. 2012/E&R/1(3)/8.—It is hereby notified for general information that keeping in view the operational requirements in the wake of construction of 3rd line between Mathura and Palwal, Central Government has decided to revise the jurisdiction of Delhi Division of Northern Railway with Agra Division of North Central Railway.

The jurisdiction of Delhi Division of Northern Railway has been extended from km. 1479.400 to km. 1478.680 between Palwal station of Delhi Division (Northern Railway) and Rundhi station of Agra Division (North Central Railway) with effect from 1st January, 2013.

R. C. JAT, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2012

सं. 2011/ईएंडआर/1500/11.—सामान्य सूचना के लिए यह एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर मध्य रेलवे/झांसी मंडल पर अगासोड और पश्चिम मध्य रेलवे/जबलपुर मंडल पर मालखेड़ी को जोड़ने वाली नई बाई-पास लाइन के निर्माण की परिचालनिक आवश्यकताओं तथा एक-दूसरे पर समानांतर चलने वाली दो लाइनों पर एक समान नियंत्रण के मद्देनजर, केन्द्र सरकार ने 983.795 कि.मी. से 990.316 कि. मी. तक की अगासोड-मालखेड़ी बाई-पास लाइन के क्षेत्राधिकार को उत्तर-मध्य रेलवे के झांसी मंडल से बदलकर पश्चिम-मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल तक करने का विनिश्चय किया है ।

उपर्युक्त क्षेत्राधिकार में यह परिवर्तन 1 जनवरी, 2013 से लागू होगा ।

आर. सी. जाट, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2012

No. 2011/E&R/1500/11.—It is hereby notified for general information that keeping in view the operational requirements in the wake of coming up of a new Bye-pass line connecting Agasod on North Central Railway/Jhansi Division and Malkhedi on West Central Railway/Jabalpur Division and to have uniform control over the two lines running parallel to each other, Central Government has decided to change the jurisdiction of the Agasod-Malkhedi bye-pass line from km. 983.795 to km. 990.316 from Jhansi Division of North Central Railway to Jabalpur Division of West Central Railway.

The change in the above jurisdiction will come into effect from 1st January, 2013.

R. C. JAT, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.